राजस्थान सरकार
राजस्व (उपनिवेशन) विभाग,

जयपुर, दिनांक 28-7-90

क्रमांक/प. 3(54)राज/उप/87,

आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर ।

विषय :- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग को भूमि आवंटन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर के किनारे वन विभाग को वन विकास एवं वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उपनिवेशन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भूमि का निर्धारित सीमा व शर्तें, जो निम्नांकित हैं, में चयन कर एक माह में आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जासके :-

<u>अनिवार्य सीमा</u> :

1. मुख्य केनाल से	200 मीटर बायें	100 मीटर दायें
2. ब्रान्च नहर से	100 ,,	50 ,,
3. वितरिका से	50 ,,	50 ,,
4. माईनर इत्यादि	25 ,,	25 ,,

<u>अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त</u> :

1. मुख्य नहर	1000 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
2. ब्रान्च नहर	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
3. वितरिका	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
4- माईनर इत्यादि	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें

इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नहरों से प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा में स्थित राजकीय कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि को आरक्षित करके आवंटन उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को करेगा । इन पट्टियों में व्यक्तिगत भूमि के संबंध में 2 बीघा अतिरिक्त भूमि के बदले में 1 बीघा सिंचित भूमि तथा एक बीघा सिंचित भूमि के बदले में एक बीघा सिंचित भूमि गांव के आसपास में बदले में भूमिधारकों की सहमति लेकर अन्य जगह भूमि दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की होगी वह भूमि वन विभाग उस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा ।
22. अनिवार्य भूमि की प्रस्तावित दूरी की सीमा से अतिरिक्त भूमि की प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अनकमाण्ड भूमि उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को आवंटित करेगा । इन पट्टियों में निजी भूमि/राजकीय कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा नहीं ली जावेगी ।
3. अनिवार्य सीमा में स्थित पट्टियों में उपरोक्तानुसार राजकीय भूमि (इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की भूमि को छोड़कर) वन विभाग के लिए आरक्षित की जाती है । उपनिवेशन आयुक्त द्वारा उक्तानुसार आरक्षित किये गये क्षेत्र में राजकीय भूमि का काश्तकारों को आवंटन नहीं किया जावेगा । दूसरे शब्दों में अनिवार्य पट्टी में कमाण्ड व अनकमाण्ड दोनों प्रकार की भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जावेगा । लेकिन

P.C. Attested
(हस्ताक्षर)
(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज ।
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त भूमि की पट्टी में सिर्फ अनकमाण्ड भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जायेगा । इस पट्टी में कमाण्ड भूमि का आवंटन कृषकों को करने में रोक नहीं होगी।

4. वन विभाग व उपनिवेशन विभाग के अधिकारीगण पट्टियों में आरक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एक माह में पूर्ण करें । जिसके फलस्वरूप वन विभाग भूमि आवंटन के निश्चित प्रस्ताव आयुक्त उपनिवेशन विभाग को भेजेगा । तत्पश्चात् उपनिवेशन आयुक्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आवंटन की सिफारिश करेगा । सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा अस्थायी रूप से वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आवंटन करेगी, जिसमें यह भी शर्त होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु आवंटित भूमि वन विभाग से कभी भी वापस ले सकेगी तथा उस पर केन्द्रीय वन अधिनियम, वन विभाग लागू नहीं करावेगा ।

5. आयुक्त, उपनिवेशन एवं वन विभाग के अधिकृत अधिकारी [illegible] करेंगे कि सर्वेक्षण किन स्थानों पर भूमि के आवंटन एवं सर्वे की कार्यवाही कितने चरणों में कब कब व किस प्रकार आरंभ की जाये ताकि जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ सर्वे व आवंटन का कार्य वरीयता से हाथ में लिया जासके ।

6. 3 स्लोप पैनल के आस-पास तथा अनुपयुक्त भूमि व सड़कों के दोनों ओर की भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य व वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने अपर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है । वन विभाग पूर्ण व निश्चित विवरण की सूचना उपनिवेशन विभाग को उपलब्ध करावेगा, जिससे उस पर निश्चित निर्णय लिया जासके ।

7. इस विभाग के पत्र क्र. प. 3(54)राज/उप/87 दिनांक 4.4.88 के अतिक्रमण में यह आदेश जारी किया जाता है ।

भवदीय,

ह०

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

P.C. Attested

(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज I
छत्तरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner